GCMS No 2019/00084

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
23.3.22	पत्रावली ... /अवकाश/दिगर कार्य में ... कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 31.3.2022 को पेश हो।	
31.3.22	पत्रावली पेश हुई ... साहब दौरे /अवकाश/दिगर कार्य में व्यस्त होने से /वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 6/4/2022 को पेश हो।	
6.4.22	पत्रावली पेश हुई ... (F.T.) साहब दौरे /अवकाश/दिगर कार्य में ... /वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 21/4/2022 को पेश हो।	
21.4.22	व.अ. उप.। व.अ. बहस हेतु समय चाहते है पूर्व में आवश्यक अवसर देने व नोटिस करवाने के पश्चात भी व.अ.गण बहस हेतु तैयार नहीं रहे हैं न्यायहित में एक अंतिम अवसर और दिया जाता है व.अ. को नोटिस करवाया जावे। उभयपक्ष अग्रिम आगामी पेशी पर बहस हेतु आवश्यक रूप से तैयार रहें। पत्रावली आइंदा दिनांक 12/5/22 को पेश हो।	
12.5.22	पत्रावली पेश हुई ... A.C. (F.T.) साहब दौरे /अवकाश/दिगर कार्य में व्यस्त होने से ... कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/5/2022 को पेश हो।	
25.5.22	व.अ. उप.। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आइंदा दिनांक [illegible] को पेश हो।	
31/5/22	व.अ. उप.। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर/बहस	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	GCMS No. 2019/00084 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए

उभयपक्ष पर मनन कर संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। दौराने बहस वकील गैरसायलान ने यह निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण व मूल वाद के संबंधित पूर्व में प्रस्तुत सायल प्रार्थना-पत्र संख्या 12/19 (21/2011) गैरसायल नं. 1 जोगाराम के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था। तथा उन्हीं कथनों के आधार पर सायलान ने पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थना-पत्र गैरसायल नं. 1 के वारिसान के विरुद्ध पेश किया है जिसमें कोई नये तथ्य नहीं है। मूल वाद, हस्तगत पत्रावली व सायल प्रा. पत्र संख्या 12/19 (21/11) की पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण गैरसायल जोगाराम के वारिसान के विरुद्ध पेश किया गया तथा मूल वाद व मूल वाद के साथ प्रस्तुत पूर्ववर्ती सायल प्रा.पत्र संख्या 12/19 (21/11) में भी प्रतिवादी/गैरसायल नं. 1 जोगाराम के फौत होने से उनके वारिसान संयोजित है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती प्रार्थना-पत्र व हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों में समान आराजी, समान पक्षकार व समान अनुतोष होने से हम हस्तगत प्रकरण का पृथक् से विवेचन व निर्णयन करना आवश्यक नहीं समझते है। मूल-वाद से संबंधित सायल प्रा. पत्र संख्या 12/19 (21/11) में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदुओं का बिंदुवार विवेचन के आधार पर सायलान का प्रार्थना-पत्र भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया गया। निर्णय की प्रति पत्रावली में संलग्न की जावे। अतः हस्तगत प्रकरण उक्त बिंदुवार विवेचन के आधार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता शामिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

A[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:24 IST
Reason: SelfAttested